



2026:AHC:127194

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19777 वर्ष 2026

लवकुश पटेल @ लालू..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अंकित कपूर

प्रतिपक्षीपक्षगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना
2. प्रस्तुत जमानत याचिका दायर की गई है जिसमें बी.एन.एस., की धारा 191(3), 103(1), 190 के तहत केस अपराध संख्या-526 वर्ष 2025थाना-बड़ागांव, जिला-वाराणसीमें आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक और दो अन्य सह-आरोपी अर्जुन पटेल और आर्यन पटेल के साथ तीन अज्ञात व्यक्तियों को प्राथमिकी दिनांक 27.12.2025 को प्राथमिकी में नामित किया गया है। सामान्य आरोप प्राथमिकी में लगाया गया है और प्रस्तुत मामले का पहला सूचनाकर्ता कथित घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। विवेचना के दौरान, 21.02.2026 को संदीप पटेल का बयान दर्ज किया गया और उसने खुद को कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया। उन्होंने आगे कहा कि सह-आरोपी आर्यन पटेल ने मृतक के पेट में चाकू से चोट पहुंचाई। मुख्य आरोपी आर्यन पटेल के साथ आवेदक और मनीष पटेल और अनीश पटेल भी थे। उपरोक्त सह-आरोपी मनीष पटेल और अनीश पटेल को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-14494 वर्ष 2026 में दिनांक 25.05.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जमानत आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की गई है जिसे अभिलेखों पर लिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 27.12.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने पक्षगण के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. प्राथमिकी में 13 घंटे से अधिक की देरी हुई और प्राथमिकी में सामान्य आरोप लगाए गए हैं। कथित चश्मदीद गवाह संदीप पटेल के बयान में सह-आरोपी आर्यन पटेल को चोट पहुंचाने की मुख्य भूमिका सौंपी गई है। अन्य सह-आरोपी मनीष पटेल और अनीश पटेल, जिन्हें मृतक को चोट पहुंचाने की भूमिका नहीं सौंपी गई थी, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है। इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

7. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेखों पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक जमानत दिए जाने का प्रथमदृष्टया अधिकारी है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।



9. आवेदक लवकुश पटेल उर्फ लालू, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो जमानतदार (sureties) पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक ट्रायल के दौरान जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा (proclamation) जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-A / बी.एन.एस.की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

ए.पी. पांडे